appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-eight years' as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. DFSS/38(1)/2012-Admn.]

NARENDRA KUMAR, Under Secy.

(समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार)

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2020

सा.का.नि.104.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और वर्ग-III पद [समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)] भर्ती नियम,1962 को, जहाँ तक उनका संबंध सवार हरकारा के पदों से है, का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन, समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार) में सवार हरकारा (ग्रेड-I), सवार हरकारा (ग्रेड-II) और सवार हरकारा (साधारण ग्रेड) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार, सवार हरकारा (ग्रेड-I), सवार हरकारा (ग्रेड-II) और सवार हरकारा (साधारण ग्रेड), भर्ती नियम 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.**— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे ही होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो केन्द्रीय सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूत-पूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1. सवार हरकारा (ग्रेड-I)	25* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5, रु. 29200-92300

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(5)	(6)	(7)	(8)
अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति- भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(9)	(10)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नत या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति:-- वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4, रू० 25500-81100 में ऐसे सवार हरकारा (ग्रेड-II), जिसने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है या सवार हरकारा (ग्रेड-II) और सवार हरकारा (साधारण ग्रेड) में 15 वर्ष की सम्मिलित सेवा की है; और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट, व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण कर ली है। **टिप्पण:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि, उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. संयुक्त निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार – अध्यक्ष। 2. सहायक निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार – सदस्य। 3. सहायक निदेशक या समकक्ष – बाह्य सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)
2. सवार हरकारा (ग्रेड-II)	25* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4, रु. 25500-81100.

(5)	(6)	(7)	(8)
अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)
प्रोन्नति:- वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2, रु. 19900-63200 में ऐसे सवार हरकारा (साधारण ग्रेड), जिसने इस श्रेणी में नौ वर्ष नियमित सेवा की है और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट, व्यवसायिक परीक्षण उत्तीर्ण कर ली है। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि, उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. संयुक्त निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार – अध्यक्ष। 2. सहायक निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार – सदस्य। 3. सहायक निदेशक या समकक्ष – बाह्य सदस्य।	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)
3. सवार हरकारा (साधारण ग्रेड)	28* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2, रू० 19900-63200

(5)	(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता	18-25 वर्ष। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है)। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं।	**आवश्यक :-** (i) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण; (ii) मोटर साइकिल चलाने के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो; (iii) मोटर यंत्र का ज्ञान (अभ्यर्थी को यान की छोटी खराबी को दूर करने आना चाहिए); (iv) मोटर साइकिल चलाने का तीन वर्ष का अनुभव ; और **वांछनीय:** होम गार्ड या सिविल स्वंयसेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा। **टिप्पण 1**: अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी	लागू नहीं होता

		स्तर पर, सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	

(9)	(10)
सीधे भर्ती किए जाने वाले या पुनर्नियोजित व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन

(11)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1, रू० 18000-56900 में नियमित समूह 'ग' कर्मचारियों में से जो समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार में कार्यरत हैं और जिनके पास मोटर साइकिल चलाने के लिए सक्षमता निर्धारण करने के लिए चालन परीक्षण के आधार पर मोटर साइकिल चलाने के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो, जिसके न हो सकने पर केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1, रू० 18000-56900 में नियमित आधार पर सवार हरकारा का पदधारण करने वाले पदधारियों या नियमित समूह 'ग' कर्मचारियों में से, जो स्तम्भ (7) में उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं पूरी करते हों। **सशसूत्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन :** सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे कार्मिकों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों में रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। **टिप्पण 1** : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	**(13)**
समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. उप निदेशक,समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार – अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार – सदस्य। 3. सहायक निदेशक या समकक्ष – बाह्य सदस्य।	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए. 11016/1/भ.नि. (ख और ग)/2017-प्र.II /पुअ. II]

चन्दन कुमार, अवर सचिव

(DIRECTORATE OF COORDINATION POLICE WIRELESS)

New Delhi, the 15th July, 2020

G.S.R. 104.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Class III posts [Directorate of Co-ordination (Police Wireless)] Recruitment Rules, 1962 in so far as they relate to the posts of Despatch Rider except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of to recruitment to the posts of Despatch Rider (Grade I), Despatch Rider (Grade II) and Despatch Rider (Ordinary Grade) in the Directorate of Co-ordination (Police Wireless), under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement** .— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Directorate of Co-ordination Police Wireless, Despatch Rider (Grade -I), Despatch Rider (Grade -II) and Despatch Rider (Ordinary Grade), Recruitment Rules 2020.

(2). They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, level in the pay matrix .—** The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications etc. .—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification .—**No person.—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax .—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of Post	Classification	Level in the pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Despatch Rider (Grade- I)	25* (2020) * Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group C Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 5 in the pay matrix ₹ 29200-92300

Whether selection or non -selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees
(5)	(6)	(7)	(8)
Non-selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(9)	(10)
Not applicable	By promotion

In case of recruitment by promotion or transfer grades from which promotion or deputation/ transfer to be made
(11)
Promotion: Despatch Rider (Grade-II) in level 4 in the pay matrix ₹25500-81100 with six years of regular service in the grade or with a combined service of fifteen years in Despatch Rider (Grade- II) and Despatch Rider (Ordinary Grade); and have passed the trade test, specified by the Government. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already such qualifying or eligibility service.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitments
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1 Joint Director, Directorate of Coordination Police Wireless – Chairman. 2. Assistant Director, Directorate of Coordination Police Wireless - Member 3. Assistant Director or equivalent – External Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Despatch Rider (Grade II).	25* (2020) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 4 in the pay matrix ₹25500-81100.

(5)	(6)	(7)	(8)
Non-selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)
Not applicable	By promotion

(11)
Promotion:- Despatch Rider (Ordinary Grade) in level 2 in the pay matrix ₹19900-63200 with nine years of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Government. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already such qualifying or eligibility service.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group `C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1 Joint Director, Directorate of Coordination Police Wireless – Chairman 2. Assistant Director, Directorate of Coordination Police Wireless - Member 3. Assistant Director or equivalent, – External Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Despatch Rider (Ordinary Grade)	28* (2020) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group C Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 2 in the pay matrix ₹19900-63200.

(5)	(6)	(7)	(8)
Not applicable	18 - 25 years. (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh and the Union territories of Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).	(i) 10th Standard pass; (ii) possession of a valid driving license to drive motor cycle; (iii)knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor-defects in vehicle); (iv) experience of driving motor cycle for three years; and **Desirable:** Three years' service as Home Guard or Civil Volunteer. **Note 1:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority. **Note 2**: In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable

(9)	(10)
Two years for direct recruit or re-employed	Deputation/absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel: Deputation/re-employment.

(11)
Deputation/absorption: From amongst the regular Group 'C' employees in level 1 in the pay matrix 18000-56900, working in the Directorate Coordination Police Wireless and who possess a valid driving license for driving motor cycle on the basis of a driving test to assess the competence to drive motor cycle failing which from officials holding the post of Despatch Rider on regular basis or regular Group 'C' employees in level 1 in the pay matrix 18000-56900 in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column (7). **Deputation/re-employment for Armed Forces Personnel:** The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2**: The maximum age limit for appointment by deputation/absorption shall be 'not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	**(13)**
Group `C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Deputy Director, Directorate of Coordination Police Wireless – Chairman. 2. Assistant Director, Directorate of Coordination Police Wireless - Member. 3. Assistant Director – External Member.	Not applicable

[F. No.A.11016/1/RR(B&C) /2017-Ad.II/PM.II]
CHANDAN KUMAR, Under Secy.

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(भूमि संसाधन विभाग)

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2020

सा.का.नि. 105.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भूमि संसाधन विभाग, वैज्ञानिक (प्रोद्योगिकी विस्तार) भर्ती नियमावली, 2000 का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय में वरिष्ठ अपर आयुक्त (वाटरशेड विकास) के पद के लिए भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भूमि संसाधन विभाग, वरिष्ठ अपर आयुक्त (वाटरशेड विकास), भर्ती नियमावली, 2020 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथा-विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हता, इत्यादि-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य मामले पूर्वोक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथा विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता-** वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्ति के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।